राज्य का सिद्धान्त

राज्य के बारे में गांधी जी की धारणा मूलत: अराजकतावादी है। गांधी जी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, उन्होंने दार्शनिक आधार पर राज्य को व्यक्तितव विकास में बाधा मानकर उसका विरोध किया है। गांधी जी का कहना है कि राज्य दण्ड और कानून का भय दिखाकर व्यक्ति से अपनी बात मनवा लेता है। इससे हिंसा व पाश्विक बल को बढ़ावा मिलता है और नैतिकता का मार्ग अवरुद्ध होता है। इसलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में न्यूनतम कार्यक्षेत्र में रहना चाहिए। उसे व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक स्वतन्त्र व स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। गांधी जी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतान्त्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में सदैव हिंसा रहती है, वह गरीबों का शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषक होता है। यह पुलिस, न्यायालय, सेना आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपता है। इससे नैतिक मूल्यों को आघात पहुंचता है। राज्य की आज्ञा का मनुष्य के नैतिक कार्यों से कोई सम्बन्ध न होने के कारण व्यक्तित्व का विकास भी रूक जाता है। इसलिए हिंसा और पाश्विक शक्ति पर आधारित होने के कारण राज्य एक आत्मा रहित मशीन है जो मानव जाति को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है।

गांधी जी ने लिखा है-"राज्य हिंसा का धनीभूत और संगठित रूप है। एक व्यक्ति में आत्मा होती है, किन्तु राज्य आत्मा रहित यन्त्र मात्र है। यह हिंसा पर जीवित रहता है और इसे हिंसा से कभी अलग नहीं किया जा सकता।" इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति की इच्छा से परे होता है, अनैतिक होता है। हिंसा व भय के वातावरण में किया गया प्रत्येक कार्य सदैव अनैतिक ही होता है। इसलिए गांधी जी ने राज्य की शक्ति को भय की दृष्टि से देखा है और उसे व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानकर उसे समाप्त करने का विचार प्रस्तुत किया है। इसी कारण अनेक विचारकों ने गांधी जी को एक अराजकतावादी विचारक कहा है।

गांधी जी ने राज्य के स्थान पर एक ऐसे आदर्श समाज या राज्यविहीन लोकतन्त्र (Stateless Democracy) की स्थापना का विचार पेश किया है। इसे राम राज्य की कल्पना भी कहा जा सकता है। गांधी जी ने इसे स्वयं स्वराज्य की संज्ञा दी है और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में इस आदर्श राज्य का व्यावहारिक ढांचा पेश किया है। गांधी जी ने अहिंसा को आदर्श समाज की स्थापना का आवश्यक तत्व मानकर, उस पर ही अपने

आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना की है। उन्होंने अहिंसात्मक समाज में सरकार का स्वरूप लोगों पर ही छोड़ने की बात स्वीकार की है। उन्होंने 11 फरवरी 1939 को 'हरिजन' पत्रिका में लिखा था कि-"अहिंसा पर आधारित समाज में सरकार की रूप-रेखा क्या होगी, मैं जान-बूझकर इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं-जब समाज अहिंसा के नियम के अनुसार स्वयं बन जाएगा तो उसका रूप आज के समाज से पूर्ण रूप से भिन्न होगा।" इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने अपने आदर्श समाज या राम राज्य की कोई निश्चित रूप-रेखा प्रस्तुत नहीं की। उसने कल्पना मात्र के आधार पर ही रामराज्य का ढांचा पेश किया है, जिसके आधार पर उनके आदर्श समाज या रामराज्य की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है-

1. **व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है** - गांधी जी का मानना था कि राज्य अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी परिस्थितियों को उत्कृष्ट बनाने सहायता देने का साधन है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। राज्य का प्रधान कार्य सभी व्यक्तियों के हित का सम्पादन करना है। इसका उद्देश्य (साध्य) सर्वोदय अर्थात् सभी का कल्याण है। वह किसी वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। यदि राज्य अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसके विरोध का अधिकार सत्याग्रही व्यक्ति को होता है। इस प्रकार गांधी जी ने आदर्श समाज में राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन माना है ताकि राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके।

2. **विकेन्द्रीकरण** - गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में शक्ति और धन के केन्द्रीकरण को सारी बुराईयों की जड़ मानते थे। इसलिए उन्होंने आदर्श समाज में विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया है। उनके मतानुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन मनुष्य जाति के लिए अभिशाप है। इसी से व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का, एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण हो रहा है। इससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। भौतिक पाश्चात्य सभ्यता की बुराईयों भी इसी व्यवस्था के कारण फेली हुई है। इसलिए विकेन्द्रीकरण द्वारा कुटीर उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाए। राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को केन्द्रीकरण व्यवस्था पर ही आधारित रहना चाहिए। केवल आम लोगों के हितों के पोषक उद्योग ही विकेन्द्रीकरण के तहत शामिल किए जाने चाहिएं। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन होने के कारण शक्ति व सत्ता विशेष वर्ग तक ही सिमटकर रह जाती है। जिस प्रकार उद्योगों में मुट्ठी भर पूंजीपति जनता का आर्थिक शोषण करते हैं, उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी मुट्ठी भर नेता जनता का शोषण कर

रहे हैं इसलिए राजनीतिक विकन्द्रीकरण द्वारा पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं ताकि आम व्यक्ति भी शासन में भागीदार बन सकें।

3. **न्याय** - गांधी जी का मानना था कि न्याय व्यवस्था एक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जनता को न्याय पाने में कोई कठिनाई न हो। न्यायलयों को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि स्वस्थ न्यायपालिका प्रणाली का विकास हो। लोगों को आपसी समस्याएं पंच निर्णय (Arbitration) द्वारा ही हल करने के प्रयास करना चाहिए। दीवानी झगड़ों में पंच निर्णय ही अपनाना चाहिए। भ्रष्टाचार अथवा कानून के दुरुपयोग के मामलों में ही न्यायलयों का सहारा लिया जाए। छोटे-छोटे झगड़ों के लिए न्यायलय का सहारा न लिया जाए ताकि समय व धन का अपव्यय न हो। गांधी जी ने कहा है-"वकील होने चाहिए, परन्तु उनकी फीस निश्चित व कम होनी चाहिए। उनके सामने सेवा का आदर्श होना चाहिए, न कि धन कमाने का।" उन्होंने आगे कहा है-"न्याय व्यवस्था को सस्ती बनाना चाहिए। दीवानी मुकद्दमों को छोड़कर अन्य मामलों में ही कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। बीच वाले न्यायलयों को समाप्त कर देना चाहिए और न्याय प्रक्रिया सरल बनाई जाए।" इस तरह गांधी जी ने न्याय प्रक्रिया को सरल व सस्ती बनाने का विचार प्रस्तुत किया है।

4. **पुलिस और जेलें** - गांधी जी का मानना था कि समाज में समाज विरोधी तत्व अवश्य होते हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। गांधी जी ने पुलिस व्यवस्था को पूर्णतया नए सिरे से कायम करते हुए कहा है-"यह पुलिस वर्तमान पुलिस-पद्धति से बिल्कुल भिन्न होगी। इस पुलिस दल के सदस्य वे व्यक्ति ही होंगे जो अहिंसा में विश्वास रखते होंगे। वे जनता के स्वामी न होकर उनके सेवक होंगे। जनता उन्हें हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगी तथा इस तरह आपसी सहयोग से वह सदैव कम हेने वाले उपद्रवों का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। पुलिस के पास कुछ न कुछ हथियार भी होंगे, किन्तु उनका प्रयोग यथासम्भव बहुत ही कम किया जाएगा। पुलिस के सदस्य सुधारक होंगे और उनका कार्य चोर-डाकूओं तक ही सीमित होगा।" इस प्रकार गांधी जी समाज के विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिए ही पुलिस की व्यवस्था का समर्थन किया है ताकि आम आदमी निर्भय होकर अपना जीवन जी सके और उसे अपने जान-माल की हानि की कोई चिन्ता न रहे। गांधी जी ने अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को कुछ हद तक हिंसा करने की भी छूट दी है। पुलिस कानून व व्यवस्था कायम रखने के लिए आंसू गैस का प्रयोग कर सकती है। गांधी जी ने जेलों को भी अहिंसक बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जेलों को भी सुधारात्मक संस्थाओं का रूप देना चाहिए ताकि अपराधी जलों में कुछ काम-धन्धा सीखकर बाहर जाने पर स्वयं अपनी रोजी-रोटी कमा सकें और दोबारा कोई अपराध न करें। गांधी जी ने आगे कहा है-"समस्त अपराधियों को रोगी मानकर उनका इलाज करना चाहिए और जेलों को इस वर्ग के रोगियों के इलाज और निरोगता

का अस्पताल समझना चाहिए। जेल कर्मचारियों का व्यवहार अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों जैसा होना चाहिए तथा कैदियों को महसूस होना चाहिए कि कर्मचारी उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं।" इस तरह जेलों को अस्पताल समझकर कैदियों के रहने से उनकी अपराध प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी और भारतवर्ष जैसे निर्धन देश का चिकित्सा पर किया जाने वाला खर्च भी बच जाएगा। इसके लिए जेल अधिकारियों को अपराध के कारणों का पता लगाकर, उन्हें दूर करना होगा ताकि दोबारा अपराध की प्रवृत्ति जन्म न ले।

5. **प्रतिनिधित्व और चुनाव** - यद्यपि गांधी जी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे लेकिन उसके प्रचलित स्वरूप के विरुद्ध थे। निर्वाचन द्वारा जनता यह समझती है कि उनका अपना शासन है लेकिन इससे शोषण की प्रवृत्ति का जन्म होता है। उन्होंने 'यंग इण्डिया' में लिखा है-"स्वराज्य से मेरा अभिप्राय उस भारत से है, जिसमें शासन जनता की स्वीकृति से हो, जिसका निश्चय वयस्क जनसंख्या के सर्वाधिक बहुमत के द्वारा हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वहीं जन्म लेने वाले हों अथवा वहां आकर बसने वाले हों, जिन्होंने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की सेवा में योगदान दिया हो तथा जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम शामिल करवा लिया हो।" मताधिकार के बारे में गांधी जी ने कहा है कि वयस्क मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता सम्पत्ति या पद नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम होना चाहिए। गांव का शासन ग्राम पंचायतों के हाथ में ही होना चाहिए और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया जाए। प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर के स्त्री-पुरुष को वोट का अधिकार हो, जिला प्रशासन के अधिकारी पंचायतों के माध्यम से ही प्राप्त हो। प्रांतीय शासन का चुनाव जिला अधिकारियों द्वारा किया जाए और प्रांतीय अधिकारी देश के राष्ट्रपति का चुरपव करें। इस तरह गांधी जी ने गांव में तो प्रत्यक्ष शासन प्रणाली का समर्थन किया है, लेकिन आगे के स्तरों पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का ही समर्थन किया है।
6. **बहुमत का शासन** - गांधी जी का मानना था कि आधुनिक समाज में बहुमत का शासन है। लोकतन्त्र को सफल बना सकता है। प्रतिनिधि शासन अल्पमत पर आधारित होने के कारण बहुमत का शोषण करता है। परन्तु गांधी जी का यह उद्देश्य कभी नहीं रहा कि बहुमत अल्पमत का शोषण करे। उनका कहना था कि बहुमत तथा अल्पमत दोनों को खुले दिमाग से कार्य करना चाहिए। उन्हें आत्म-परीक्षण द्वारा अपने कार्यों को जांचना चाहिए। उसी के आधार पर निर्णय देना चाहिए। इससे बहुमत के अत्याचार व अल्पमत के शोषण दोनों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अन्तःकरण के विषयों के बहुमत के

कानून के लिए कोई स्थान नहीं रखा है। उन्होंने लिखा है-"बहुमत के शासन में एक संकुचित व्यवहार सामने आता है, परन्तु इस बात की परवाह न करते हुए कि बहुमत के निर्णय कैसे हैं, सदा ही उनके सामने झुकना गुलामी है। प्रजातन्त्र एक ऐसा राज्य नहीं है जिसमें भेड़ों की तरह कार्य करें।" इस प्रकार गांधी जी ने बहुमत के शासन का समर्थन भी किया हे, लेकिन उसे अल्पमत पर अत्याचार न करने का आग्रह भी किया है।

7. **अधिकार और कर्त्तव्य** - गांधी जी ने नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का पूर्ण समर्थन किया है। लेकिन उन्होंने अधिकारोंकी अपेक्षा कर्त्तव्यों पर अधिक जोर दिया है। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार कर्त्तव्यों का पालन करना ही है। कर्तव्य पालन के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने कर्त्तव्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है-"अधिकार का सच्चा स्रोत कर्त्तव्य है। यदि हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकारों को ढूंढना कठिन नहीं होगा। यदि हम कर्त्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों के पीछे भागते हैं, तो वह उसी प्रकार दूर भाग जाएंगे, जैसे कि दलदल में उत्पन्न होने वाला जगमगाता हुआ प्रकाश, जितना ही अधिक हम उसका पीछा करते हैं, उतना ही आगे वह भाग खड़ा होता है।" इस तरह गांधी जी ने आदर्श समाज में अधिकारों की तुलना में कर्त्तव्यों पर अधिक जोर दिया है।

8. **धर्म-निरपेक्ष समाज** - गांधी जी के अनुसार धर्म आत्मा की वस्तु है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति के अन्त:करण से होता है। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसी कारण गांधी जी ने अपने रामराज्य की कल्पना में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है-"धर्म व्यक्ति का निजी मामला है इसलिए समाज की कोई भी सस्था व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे।" इस प्रकार गांधी जी ने धर्म-निरपेक्षता की वकालत की है।

9. **वर्ण-व्यवस्था** - गांधी जी प्राचीन वर्ण-व्यवस्था में नया भाव भरने का प्रयास किया है। वे अपने आदर्श राज्य की कल्पना में प्राचीन वर्ण-व्यवस्था को धर्म, जाति, लिंग आदि पर आधारित होने के कारण अन्यायपूर्ण मानते हैं। गांधी जी ने कहा है दलित का विकास ही पूरे राष्ट्र का विकास है, इसलिए उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने परम्परागत व्यवसायों में ही दक्ष होना चाहिए। जब समाज में सारे कार्य समान स्तर के होंगे तो कड़ी प्रतिस्पर्धा और अराजकता का वातावरण समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक पेशा सम्मान का स्थान प्राप्त

करेगा। गांधी जी ने लिखा है-"मेरा विश्वास है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है। वह अपनी जन्मजात सीमाओं को लांघ नहीं सकता। आज अशोभनीय प्रतिस्पर्धा का कारण वर्ण धर्म का पतीत व तिरस्कृत होना है। यदि आज व्यक्ति को यह गारन्टी दे दी जाए कि उसे श्रम का उचित फल मिलेगा और वह अपने पड़ोसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो तभी एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है जब उसे वर्ण-धम्र को भली भांति समझा दिया जाए अर्थात् सीमाओं को मानते हुए वर्ण-धम्र में ऊंच-नीच का भेद-भाव समाप्त कर दिया जाए।" लोग अपना कार्य गुजारा करने के लिए ही करेंगे, न कि धन इकट्ठा करने के लिए करेंगे। इसके लिए गांधी जी ने उचित शिक्षा का प्रबन्ध करने का सुझाव दिया है। लेकिन इस सिद्धान्त का यह दोष है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, वह सदा के लिए उसी वर्ण में रहेगा। इससे प्रतिभावान व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा अपने वर्ण विशेष से हटकर दिखाने का मौका नहीं मिल सकेगा।

10. **ट्रस्टीशिप-व्यवस्था** - गांधी जी का कहना है कि वर्तमान समय में आर्थिक विषमता का कारण धनी वर्ग द्वारा आवश्यकता से अधिक धन तथा वस्तुओं का संग्रह करना है। इससे एक तरफ तो धन का अपव्यय बढ़ता है और दूसरी तरफ समाज में आपसी कटुता तथा घृणा का भाव बढ़ता है। इसलिए इन दोषों को दूर करने अर्थात् आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए मनुष्य को आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनहोंने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त पेश किया है इससे अभिप्राय यह है कि धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का स्वामी स्वयं को न मानकर, समाज की धरोहर के रूप में उस वस्तु को मान्यता दें और स्वयं को उसका संरक्षक समझें। गांधी जी ने साम्यवादियों की तरह हिंसा द्वारा धनी लोगों की सम्पति छीनने का विरोध किया है। इसके समाज में कटुता तथा घृणा का वातावरण पैदा होगा। इसलिए गांधी जी ने इसके लिए अहिंसक मार्ग चुना है। गांधी जी ने लिखा है-"मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्य ने पूंजीवाद को हिंसा के द्वारा दबाने की कोशिश की तो वह खुद ही हिंसा के जाल में फंस जाएगा और फिर कभी अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को तरजीह देता हूं।" गांधी जी का कहना है कि इस सिद्धान्त के अनुसार लोगों को स्वेच्छापूर्वक समझाना चाहिए कि वे अपने धन की आवश्यक मात्रा अपने पास रखकर शेष मात्र समाज की भलाई के लिए लगा दें। इसके गांधी जी का तात्पर्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा धनिकों द्वारा इस सिद्धान्त को अपनाने पर ही उपलब्ध हो सकेगी। जब धनिक अपने अधिक धन को ऐसे उद्योग

धन्धों में लगाएंगे जिनसे साधारण जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो असमानता काफी हद तक कम हो जाएगी। गांधी जी ने कहा है कि समाज से पूर्ण असमानता न तो समाप्त हुई और न हो सकती है। इसे एक सीमा तक कम अवश्य किया जा सकता है।

11. **अहिंसात्मक समाज** - गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य या रामराज्य की कल्पना में आदर्श समाज का चित्रण किया है। गांधी जी का कहना है कि आदर्श समाज पारस्परिक सहयोग पर आधारित ग्रामों का समुदाय होगा। इसका निर्माण अनेक ग्राम पंचायतों को मिलाकर होगा प्रत्येक व्यक्ति समाज की रक्षा तथा कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। राज्य की शक्ति पंचायतों में केन्द्रित होगी। समाज विकास के सारे कार्य पंचायतों के हाथ में होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता व गुण धर्म के अनुसार कार्य करेगा। आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति समाज की होगी। रोटी और श्रम का सिद्धान्त लागू होगा। कमाने वाले को ही खाने का अधिकार होगा। राज्य का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होगा। व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध सत्य और अहिंसा पर आधारित होंगे, समाज में कुटीर उद्योगों में काम करने वालों का सम्मान बढ़ेगा। कोई काम छोटा नहीं माना जाएगा, समान मजदूरी का नियम सामाजिक विषमाताओं को कम करेगा। इस प्रकार के समाज वाला राज्य एक पवित्र राज्य होगा जहां शोषण और दबाव का नामोनिशान नहीं रहेगा।

इस प्रकार गांधी जी ने रामराज्य की कल्पना के बारे में विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन गांधी जी कोरे कल्पनावादी नहीं थे। वे एक व्यावहारिक विचारक, सन्त और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना अवश्य की है, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग कठिन बताया है। उन्होंने स्वयं लिखा है-"इस प्रकार का अहिंसक समाज एक ऐसा प्रेरणा देने वाला आदर्श है, जिसको निकट भविष्य में व्यवहार में लाना कठिन काम है।" इसको व्यावहारिक धरातल पर लाने के लिए आत्म संयम व अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता है इसलिए राज्य-विहीन समाज की कल्पना यथार्थ में लागू करना सम्भव नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा है कि ऐसा निकट भविष्य में असम्भव होने के बावजूद भी धीरे-धीरे समाज का आविर्भाव इस सीमा तक हो सकता है कि जो सबके लिए कल्याणकारी होगा। इस प्रकार रामराज्य में राज्य अनावश्यक होते हुए भी कुछ सीमा तक अस्तित्व में रहेगा, जब समाज से पूर्ण अराजकता व विषमता की समाप्ति हो जाएगी तो राज्य की भी स्वयं समाप्ति हो जाएगी और गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न साकार होगा।

राज्य के सिद्धान्त का मूल्यांकन

गांधी जी का रामराज्य या आदर्श राज्य का स्वप्न देखने में तो सुन्दर लगता है। यदि इसे व्यवहार में लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको व्यावहारिक रूप में लागू करने में कुछ कठिनाईयां हैं-

1. गांधी जी द्वारा कुटीर उद्योग धन्धों का सिद्धान्त राष्ट्रीय प्रगति को अवरुद्ध करता है। आज विदेशी व्यापार इन उद्योगों की बजाय भारी पैमाने के उद्योगों पर आधारित है।
2. गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त अव्यावहारिक व असंगत है। एक तरफ तो गांधी जी उद्योगों के केन्द्रीकरण को आर्थिक विषमता का कारण मानते थे और दूसरी तरफ पूंजीपतियों द्वारा अधिक पूंजी या धन का प्रयोग नए उद्योग लगाने के लिए करने के लिए प्रेरणा देते हैं। कोई भी उद्योगपति अपने परिश्रम से कमाए गए धन का प्रयोग समाज हित के कार्यों में करना क्यों पसंद करेगा।
3. गांधी जी ने प्रतिनिधि लोकतन्त्र की आलोचना तो की है लेकिन शुद्ध लोकतन्त्र की स्थापना के लिए व्यक्तियों में गुण पैदा करने का उपाय नहीं बताया है।
4. गांधी जी की वर्ण-व्यवस्था आधुनिक ढंग में प्रासांगिक नहीं हो सकती। आज ग्रामीण क्षेत्र में जांति-पांति के बन्धन ढीले होते जा रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करने लगे, जो उसके पूर्वजों ने किया है, तो सामाजिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।
5. गांधी जी ने व्यक्ति के जीवन के नैतिक पक्ष को ही उजागर किया है, उसने भौतिक पक्ष की अवहेलना की है।
6. गांधी जी का रामराज्य एक कल्पना मात्र ही है, इसे व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। आज राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इसके प्रतिकूल हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि गांधी जी का आदर्श राज्य सभी सिद्धान्त अव्यावहारिक व असंगत है तथा मात्र कपोल कल्पना है। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नैतिक मापदण्डों के अनुसार ढालने का प्रयास करे तो समूचे समाज से शोषण व अन्याय की समाप्ति सम्भव हो सकती है। यदि गांधी जी की तरह सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के गुणों को सामाजिक व्यवहार का आधार बना लिया जाए तो समाज में जो व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उनमें से पहला होगा-आदर्श समाज की स्थापना या रामराज्य की स्थापना। इससे समाज का स्वरूप आध्यात्मिक लोकतन्त्र पर आधारित होगा और भ्रष्टाचार जैसे तत्व स्वत: ही समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का जो विचार दिया है, उसे ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा। इससे सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में गहरे परिवर्तन होंगे। सामाजिक विषमता एक कल्पना की वस्तु बनकर रह जाएगी। राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने वाला साधन बनकर कार्य करेगा और आदर्शवादी समाज की अन्तिम अवस्था में उसका स्वत: लोप हो जाएगा।